प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 तथा लेखापरीक्षा व लेखा विनियम, 2007 के अनुसार तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), केन्द्रीय सरकारी सेवा (सशस्त्र बलों के सिवाय) में नवनियुक्त होने वालों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली के स्थान पर 1 जनवरी 2004 से लागू की गई और तत्पश्चात् राज्य सरकारों ने भी एनपीएस को अपने कर्मचारियों के लिए स्वेच्छापूर्वक अपनाया। एनपीएस को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित किया जा रहा है।

इसमें 30 अप्रैल 2018 को 58.01 लाख सरकारी अभिदाता हैं। एनपीएस बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को समाविष्ट करता है; यह इन कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और सेवानिवृति लाभ को प्रभावित करता है। इसका प्रभावी कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग में, यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी, कि एनपीएस उसी प्रकार स्थापित किया गया था जैसा कि परिकल्पित था; सभी सरकारी क्षेत्र के पात्र कर्मचारी एनपीएस में समाविष्ट थे, तथा देय अंशदान (अभिदाताओं तथा नियोक्ताओं से) की समय पर कटौती की गई थी और न्यासी बैंक में जमा किया गया था।